बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

पत्रांक : 2/ई7–मु॰स्था॰–104/2012 (C.No.-173263) 3350 पटना/ दिनांक .....

विधि स्नातकों (Law Graduates) का विधि परामर्शी (Legal Consultant) के पद पर चयन हेतु चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय, पटना से मेधाक्रम के अनुसार प्राप्त सूची एवं उपलब्ध रिक्ति के आलोक में अधोलिखित शर्त्तों के अधीन अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित 24 (चौबीस) अभ्यर्थियों को विधि परामर्शी (Legal Consultant) के पद पर निम्नवत् कार्यालय/जिला आवंटित किया जाता है:–

Sl. No.	Name of the Candidate	Gender	Date of Birth	Allotted District/Office
1	Ankit Kumar	M	03.04.2000	Khagaria
2	Tulika L	F	04.04.1994	Paliganj
3	Madhushree	F	22.11.1992	Bhojpur
4	Abhishek Kumar	M	10.01.1997	Saran
5	Prateek Srivastava	M	15.11.1997	Bhojpur
6	Saurabh Kumar	M	07.01.1999	Samastipur
7	Vicky Kumar	M	10.03.1999	Jamui
8	Pratyay Amrit	M	29.06.1996	Gopalganj
9	Shubham Raj	M	17.01.2000	Nalanda
10	Pratyush Kumar	M	20.08.1999	Sitamarhi
11	Priya Singh	F	09.12.1999	Gaya
12	Aditi Anand	F	12.06.2000	Darbhanga
13	Mritunjay Kumar	M	15.08.1988	Begusarai
14	Saket Prakash	M	22.01.1998	Aurangabad
15	Sahil Verma	M	03.11.2001	Banka
16	Sarvjeet Kumar	M	28.12.2001	Kaimur
17	Prince Kumar	M	13.11.2000	Kishanganj
18	Ayush Kumar	M	09.01.2000	Katihar
19	Satya Nand	M	17.12.1999	Sitamarhi
20	Waquar Ahmed	M	09.03.2001	Motihari
21	Vivek Kumar	M	05.11.1998	Motihari
22	Aniket Raj	M	01.04.1999	Saaharasa
23	Amresh Kumar	M	05.01.1997	Supaul
24	Shriyam Arvind	M	21.09.1998	Kishanganj

(1) अनुबंध की शर्त्तें– (i) प्रथम बार छः महीने के लिए अनुबंध पर रखा जायेगा। अनुबंध पर रखे जाने हेतु दोंनो पक्षों (नियोजक एवं अभ्यर्थी) के द्वारा एकरारनामा हस्ताक्षरित किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषजनक पाये जाने पर पुनः अगले छः माह के लिए अनुबंध अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।

(ii) विधि परामर्शी विभागीय मुख्यालय तथा अपने आवंटित जिला के सहायक आयुक्त/अधीक्षक मद्यनिषेध कार्यालय में कार्य सम्पादित करेंगे।

(iii) यह अनुबंध पूर्णतः तदर्थ व्यवस्था (Ad-hoc basis) के तहत् है तथा नियमित नियुक्ति का दावा मान्य नही होगा।

(iv) एकरारनामा के समय मूल प्रमाण पत्रों को दिखाना होगा एवं प्रमाण पत्रों की दो–दो स्वअभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना होगा। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान गलत पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(v) अनुबंध अवधि के दौरान विधि परामर्शी किसी भी न्यायालय में Advocate के रूप में कार्य (Practice) नही कर सकेंगे तथा किसी व्यक्ति या संगठन की पैरवी नही करेंगे।

(vi) जिनका कार्यकलाप संतोषजनक नहीं पाया जायेगा या उनकी आवश्यकता नहीं होने पर, उन्हें एक माह की पूर्व सूचना पर कभी भी हटाया जा सकेगा।

(2) मानदेय– विधि परामर्शी को प्रतिमाह 35,000/–(पैंतीस हजार रूपया मात्र) एकमुश्त मानदेय दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता या राशि का दावा मान्य नही होगा।

(3) विधि परामर्शी (Legal Consultant) के कार्य निम्न होंगे– (i) विधि परामर्शी जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला समाहर्त्ता न्यायालय, आयुक्त उत्पाद अपीलीय न्यायालय एवं अपर मुख्य सचिव के पुनरीक्षण न्यायालय में वादों का अनुश्रवण करेंगे।

(ii) वे वादों से संबंधित डाटा/आँकड़ा संकलित करने का कार्य करेंगे, जो प्रतिदिन जिला से उच्च पदाधिकारी को भेजा जायेगा।

(iii) विभाग/जिला के विधि संबंधी कार्य लिया जायेगा।

(iv) माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन ससमय हो, उनसे यह अपेक्षा होगी।

(v) वादों के शीघ्र निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई, यथा जवाब, नोटिस, कारण पृच्छा, तथ्य विवरणी एवं आदेश फलक आदि तैयार करने की जवाबदेही उनकी होगी।

(vi) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पैनल सरकारी अधिवक्ता और विभाग के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। जहाँ आवश्यकता होगी सरकारी अधिवक्ता को मदद करेंगे।

(vii) समय–समय पर विभाग/जिला के विभागीय पदाधिकारियों द्वारा जो विधि संबंधी कार्य उन्हें सौपे जायेंगे, उन्हें करना होगा।

(viii) कार्यालय कार्यों के अतिरिक्त अधिहरण वाद एवं अन्य उत्पाद वादों में जिला पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेंगे।

(ix) दूसरी बार शराब पीने के जुर्म में पकड़े गये अभियुक्तों (Repeated Offender) से अवैध शराब की आपूर्ति/बिक्री का स्त्रोत आदि की जानकारी को गंभीरता से लिया जाना होगा, ताकि Supply Chain को ध्वस्त किया जा सके। कोई अभियुक्त Repeated Offender है या नहीं, इसकी तसल्ली जिला के विधि परामर्शी तय करेंगे। ऐसा करने हेतु वे अभियुक्तो से पुछताछ भी करेंगे।

2. उपरोक्त विधि परामर्शी दिनांक–01.07.2025 तक संबंधित मद्यनिषेध एवं उत्पाद कार्यालय में योगदान समर्पित करेंगे। उक्त तिथि तक योगदान नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(रेणु कुमारी सिन्हा)
उपायुक्त मद्यनिषेध

ज्ञापांक : 2/ई7–मु॰स्था॰–104/2012.....3350..... पटना/ दिनांक .....19.06.25.....

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/प्रो0 (डॉ0) एस0 पी0 सिंह, डीन सामाजिक विज्ञान, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध, बिहार, पटना/श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा, उपायुक्त मद्यनिषेध/संबंधित जिला के सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/अधीक्षक मद्यनिषेध एवं सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.6.25
उपायुक्त मद्यनिषेध